

एस. ए. बिल्डर्स लिमिटेड

बनाम

आयकर आयुक्त (अपील) चंडीगढ़ और एक अन्य

14 दिसंबर, 2006

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, न्यायाधिपतिगण]

आयकर अधिनियम, 1961 : धारा 32 एबी - सिविल निर्माण में लगे हुये निर्धारित द्वारा धारा 32 एबी के अंतर्गत कटौती के लिये दावा-अभिनिर्धारित किया: स्वीकार्य नहीं।

धारा 32 एबी - के तहत कटौती - अभिनिर्धारित : कुछ शर्तों को पूरा करने पर स्वीकार्य - अभिलेख पर दिखाने के लिये कुछ भी नहीं है कि उन शर्तों को पूरा किया गया था- न्यायाधिकरण ने कटौती के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया।

सिविल निर्माण के व्यवसाय में लगे अपीलार्थी-निर्धारिती ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 एबी के अंतर्गत कटौती का दावा किया। न्यायाधिकरण ने दो आधारों पर दावे को खारिज कर दिया। पहला आधार यह था कि निर्धारिती कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं कर रहा था और दूसरा यह कि धारा 32 एबी के तहत कटौती स्वचालित नहीं थी और उस प्रावधान

में निर्धारित विभिन्न शर्तों के अधीन थी और क्या वे शर्तें पूरी हुई थी या नहीं, उन तथ्यों की जांच आवश्यक थी जो अभिलेख पर नहीं थे। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को यथावत रखा। इसलिये वर्तमान अपील है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया :

न्यायाधिकरण द्वारा अपने आदेश में उल्लिखित दोनों कारणों से, निर्धारिती उसके द्वारा दावा की गई कटौती का हकदार नहीं था। [1093-जी]

सी. आई. टी. बनाम एन. सी. बुधराजा एंड कंपनी, (1993) 204 आई. टी. आर. 412, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 5810/2006

(आई. टी. ए. संख्या 8 और 9/2003 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्णय एवं आदेश दिनांक 23/7/2004 से।)

निधेश गुप्ता, विनोद शुक्ला, दीपक गोयल और एस. जनानी, अपीलार्थी के लिए।

रवींद्र श्रीवास्तव, रणवीर चंद्र, शिल्पा सिंह और बी. वी. बलराम दास, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय काटजू, मार्कडेय, न्यायाधिपति, द्वारा द्वारा दिया गया था

अनुमति प्रदान की गई।

यह अपील आई. टी. ए. संख्या 8-9/ 2003 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, के विवादित फैसले दिनांक 23.7.2004 के विरुद्ध दायर की गई है।

पक्षकारान की ओर से विद्वान अधिवक्तागणों को सुना गया और अभिलेख का अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी-निर्धारिती सिविल निर्माण के व्यवसाय में कार्यरत एक कंपनी है। इसने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32एबी के तहत कटौती के लिए दावा किया, जिसे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (इसके बाद 'न्यायाधिकरण'के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक अतिरिक्त आधार के रूप में उठाया गया था, इसके आदेश दिनांक 20/6/2002 के पैराग्राफ 19-21 में न्यायाधिकरण ने निर्धारिती के दावे को दो आधारों पर खारिज कर दिया है। पहला आधार यह है कि निर्धारित सिविल निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ था और कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं कर रहा था। इसलिये, सीआईटी बनाम एन सी बुधराजा एंड कंपनी, (1993) 204 आई. टी. आर. 412 में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर दावा स्वीकार्य नहीं किया गया था। दावे को अस्वीकार करने का दूसरा आधार यह था कि दावा

रिकॉर्ड पर तथ्यों पर आधारित नहीं था। धारा 32एबी के तहत कटौती स्वचालित नहीं थी और उस प्रावधान में निर्धारित विभिन्न शर्तों के अधीन थी। क्या निर्धारिती ने कटौती का दावा करने के लिए उन शर्तों को पूरा किया या उन तथ्यों की आवश्यक जांच नहीं है, जो रिकॉर्ड पर नहीं थे। यहां तक कि न्यायाधिकरण के समक्ष भी निर्धारिती ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी थी कि निर्धारिती इस तरह की कटौती का हकदार कैसे है। इसलिये न्यायाधिकरण ने निर्धारिती के दावे को खारिज कर दिया। विवादित निर्णय से उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की है।

हमने इस मामले पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय से भी पूरी तरह सहमत हैं।

न्यायाधिकरण द्वारा अपने आदेश के पैराग्राफ 19-21 में उल्लिखित दोनों कारणों के लिए, हमारी राय है कि निर्धारिती दावा की गई कटौती का हकदार नहीं था। इस प्रकार, इस अपील में कोई गुणावगुण नहीं है जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।